अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः एफ.4(1)(27)पोषा/S.H.G./ICDS/2013/88532-64 जयपुर, दिनांक 7-6-17

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– स्वयं सहायता समूहों द्वारा टेक होम राशन वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा टेक होम राशन वितरण व्यवस्था के प्रभावी कियान्वयन एवं लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा टेक होम राशन के वितरण को प्रभावी, गुणवत्तायुक्त एवं सुचारू करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1. स्वयं सहायता समूहों का चयन :– विभागीय निर्देशानुसार पूरक पोषाहार आपूर्ति में सक्षम स्वयं सहायता समूहों का चयन किया जावे।

2. पूरक पोषाहार पैकेट का वजन :– आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार पैकेट का वजन 750 ग्राम एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषाहार पैकेट का वजन 930 ग्राम है।

3. पोषाहार की स्टॉक प्रविष्टि :– आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त होने वाले पूरक पोषाहार का स्टॉक पंजिका में इन्द्राज किया जावे तथा निरीक्षण के वक्त सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा इसका प्रमाणन किया जावे।

4. पूरक पोषाहार का वितरण :– पूरक पोषाहार का वितरण गुरूवार के दिन यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों अथवा समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु गठित आंगनबाड़ी स्तरीय निगरानी व सहायता समिति के सदस्यों (आशा सहयोगिनी, सखी व आंगनबाडी कार्यकर्ता को छोडकर) की उपस्थिति में किया जावे।

5. पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर :– निर्धारित प्रारूप में पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर का संधारण किया जावे। पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर पर यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों एवं समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु गठित आंगनबाड़ी स्तरीय निगरानी व सहायता समिति के सदस्यों (आशा सहयोगिनी, सखी व आंगनबाडी कार्यकर्ता को छोडकर) के हस्ताक्षर कराये जावें।

6. निरीक्षण :– स्वयं सहायता समूहों से पूरक पोषाहार की आपूर्ति सोमवार तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। ब्लॉक/जिला स्तरीय अधिकारी यथा सम्भव अपने दौरे मे मंगलवार एवं बुधवार को शामिल करें ताकि गुरूवार को वितरण से पूर्व पूरक पोषाहार की जांच/सत्यापन किया जा सके।

7. पूरक पोषाहार निर्माण स्थल का निरीक्षण :– प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूहों के पोषाहार निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया जायेगा एवं इस निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से उल्लेखित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूरक पोषाहार का निर्माण स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा स्वयं के स्तर पर विभाग द्वारा निर्धारित रेसीपी के अनुसार किया जा रहा है।

8. प्रयोगशाला जांच :– विभागीय निर्देशानुसार प्रतिमाह प्रत्येक सैक्टर से रेण्डम आधार पर पूरक पोषाहार के एक नमूने की विभाग द्वारा अनुबंधित प्रयोगशाला से जांच कराया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। निरीक्षण के दौरान उक्त निर्देशों की पालना नहीं पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्व कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(शुचि शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.4(1)(27)पोषा/S.H.G./ICDS/2013/ 88565-889 जयपुर, दिनांक 7-6-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारी गण, मुख्यालय ।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों से समस्त महिला पर्यवेक्षकों को अवगत कराते हुए पालना सुनिश्चित करावें।

(मनीज कुमार)
संयुक्त निदेशक (पोषाहार)